

स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

दिनांक- 30.7.15

सं0स0-3/एल-6-1-03/2015 300(3) डा0 सुनीता प्रसाद, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-74(बी0)-सह-पठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190, दिनांक-27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-सं0स0-3/एल-6-1-03/2015 300(3) दिनांक- 30.7.15


प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/डा0 सुनीता प्रसाद, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3 एवं 9, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


30/7/15
सरकार के उप सचिव
धरमदत्त